"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 320] रायपुर, सोमवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2002—अग्रहायण 18, शक 1924

छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 9 दिसंबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक 05/रा.मं./2002.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल के सर्किट-कोर्ट के लिए स्थान रायपुर एवं बस्तर (जगदलपुर) नियत किया जाता है.

Bilaspur, the 9th December 2002

NOTIFICATION

No.05 /BOR/2002.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 4 of Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959, hereby, appoints the places of Circuit-Court of Board of Revenue of Chhattisgarh at Raipur and Bastar (Jagdalpur).

हस्ता./-
(बी. के. एस. रे)
अध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल,
बिलासपुर.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.